# न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **307/14 (वाद)**

**GCMS No. : 2014/00017**

1. श्रीमती श्यामाबाई पत्नी गंगाराम जाति मेघवाल निवासी वासनी कला तहसील मावली जिला उदयपुर।

............वादीया

**बनाम**

1. श्री भंवरलाल पिता लोगरिया जी जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी– लदाना, तहसील गावली, जिल– उदयपुर राज.।
2. श्रीमती कमला पत्नि लच्छीराम जी, पुत्री लोगरिया जी, जाति– मेघवाल, आयु– वयस्क, निवासी वासनी कला, तहसील मावली, जिला– उदयपुर।
3. श्री नारायण पिता लोगरिया जी, जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी– लदाना, तहसील– मावली, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती गोपीबाई पत्नि बद्रीलाल पुत्री लोगरिया जी, जाति– मेघवाल, आयु– वयस्क, निवासी–निलोद, तहसील भोपाल सागर, जिला– चित्तौडगढ ।
5. श्रीमती पुष्पा पत्नि शम्भुलाल पुत्री लागरिया जी, जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी– वासनी कला, तहसील मावली जिला, उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती नन्दूबाई पत्नि लोगरिया जी, जाति– मेघवाल, आयु– वयस्क, निवासी– लदाना, तहसील–मावली, जिला– उदयपुर (राज.)
7. श्री नाथु पिता कालु जी, जाति– मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी– लदाना, तहसील–मावली, जिला– उदयपुर (राज.)
8. राज्य सरकार जरिये, तहसीलदार साहब, मावली, तहसील मावली, जिला– उदयपुर (राज.)
9. श्रीमान पटवारी साहब, पटवार हल्का बारानी कलां, तहसील मादली, जिला– उदयपुर राज.।
10. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय सनवाड़, तहसील मावली, जिला–उदयपुर राज.।

...............प्रतिवादीगण

**उपस्थित–1.** श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता वादीया।

## वाद अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## निर्णय

**दिनांक : 25.08.2025**

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर [illegible] ग्राम लदाना, तहसील मावली, जिला उदयुपर, (राज) में [illegible] 370, 371, 372, 373, 374, 376

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 6 रकबा 27 बिघा 19 बिस्वा वर्तमान जमाबंदी में लोगर पिता उदा व नाथु पिता कालु मेघवाल सा. देह हिस्सा बराबर खातेदार अंकित है। उक्त वर्णित आराजीयात में सेटलमेन्ट से पूर्व में आराजी संख्या 444 रकबा 22 बिघा 18 बिस्वा है जो कि खातेदार भगलिया पिता उदा जी मेघवाल के नाम पर अंकित थी। उक्त आराजीयात के सेटलमेन्ट में आराजी सख्या 444 के हाल आराजी नम्बर 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376 किता 7 कुल रकबा 29 बीघा अंकित थी। वर्तमान जमाबंदी मे आराजी संख्या 375 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा श्री मेसर्स धाबाई एसोसिएट्स प्रो. श्री भंवरलाल पिता नारायणलाल जी धाबाई के नाम पर अंकित है। जो गलत अंकन हुआ है। जिसके विरूद्ध वादीया कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

2. वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक का सजरा निम्न है।

भगलिया पिता उदा

↓

जानीबाई पत्नी उदा जी (फौत)

↓

लोगरिया (गोदीना पुत्र)(फौत) | श्यामाबाई (पुत्री)

↓

भंवरलाल पुत्र | कमली पुत्री | नारायण पुत्र | गोपीबाई पुत्र | पुष्पा पुत्र | नन्दुबाई पत्नी लोगरिया

3. वादिया श्यामाबाई पत्नि गंगाराम के पिता उदा जी थे। उदा जी का स्वर्गवास हो गया है। माता श्रीमती जानी बाई थी। स्वर्गीय लोगरिया गोदिना पुत्र व वादिया श्यामाबाई सगी पुत्री है। लोगरीया को श्रीमती जानीबाई ने गोद रखा था और भगलिया जी की कृषि भूमि में आधा आधा हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 7 नाथु पिता कालु व भंवरलाल पिता लोगरिया दोनो सगे भाई है। जबकि नाथू का स्वर्गीय भगलिया एवं श्रीमती जानीबाई पत्नि उदा जी की सम्पति में कोई अधिकार नहीं है।

4. यह कि उक्त वर्णित आराजियात वादीया स्वर्गीय श्रीमती जानीबाई पत्नि उदा जी की जाईन्दा पुत्री होने से 1/2 हिस्सा अपने नाम पर घोषित कराने व बंटवारा कराने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण भवंरलाल व प्रतिवादी संख्या 7 नाथु ने राजस्व अधिकारियों से मिल कर नाथु के नाम पर 1/2 हिस्सा गलत अंकित किया है। वादिया उक्त वर्णित आराजीयात में अपना 1/2 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

घोषित कराने व मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा कराने की अधिकारी है, क्योंकि उक्त कृषि भूमि वादीया की माता श्रीमती जानीबाई के खातेदारी व कब्जे की कृषि भूमि है और प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारी से गलत अंकन कराया है, इसलिये वादीया अपना 1/2 हिस्सा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा कराने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है।

5. यह कि वाद कारण दिनांक 17.02.14 को राजस्व रेकर्ड की प्रति प्राप्त करने से जानकारी होने एवं प्रतिवादीगण को वादीया ने अपना हिस्सा अपने नाम करवाने के लिये कहा तब से प्रारम्भ होकर लगातार जारी है।

6. अंत में निवेदन किया की वादीया के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय कि डिक्री फरमायी जायें कि उक्त वर्णित आराजीयात में वादीया को 1/2 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें और राजस्व रिकोर्ड में इसी अनुसार नाम अंकित कराने की डिक्री प्रदान कराई जायें। प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी सं. 1 से 7 राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की यथास्थिती बनाये रखे और किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं करे और न ही कब्जे उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे और न ही अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट या अन्य किसी से ही करावे ।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 से 10 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रतिवादी सं. 1 से 7 द्वारा वादीया के कथनो को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की सही और वास्तविक सजरा इस प्रकार है :–

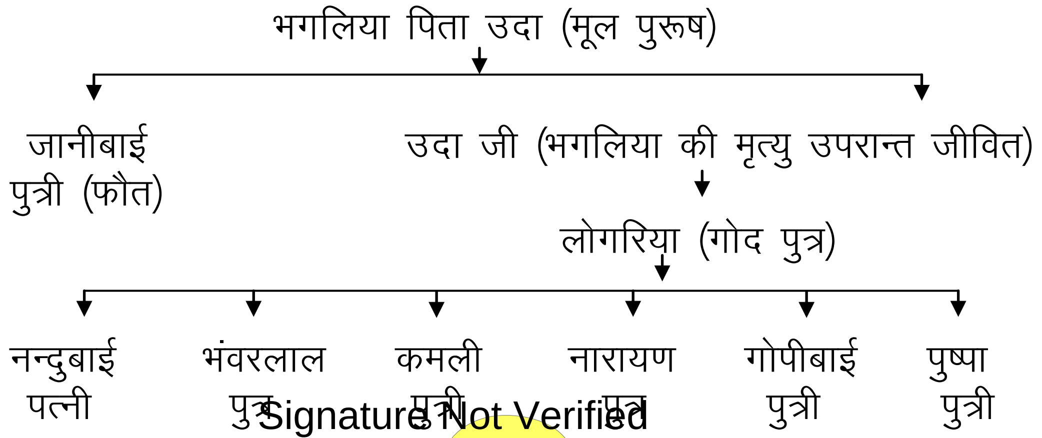


Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

भगलिया अपने पिता के जीवन काल में ही यानि उदा के जिवित रहते हुए ही मृत्यु हो गई जिससे उदा जी ने लोगरिया को गोद रखा लोगरिया के फौत होने पर लोगरिया के वारीस प्रतिवादी सं. 1 से 6 है। लोगरिया के सवत् 2033 से 2036 की जमाबन्दी से ही रेकर्डेड खातेदार दर्ज चली आ रही है। वादीया ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। जानीबाई की लगभग 70 वर्ष पूर्व काकंरवा में जिला चित्तौड़गढ़ में शादी करवा दी गई और शादी के बाद वहीं निवास कर रही थी। उनकी पुत्री वादीया श्यामाबाई ने उक्त वाद गलत तौर पर पेश किया है और अपने नाना की सम्पति में हक लेने के लिये उक्त वाद प्रस्तुत किया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू हुआ। इसलिये भी वादीया को उक्त वाद लाने का कानूनन अधिकार नहीं है। श्यामाबाई ने अपने पिता उदा जी की मृत्यु के बाद उनकी जमाबन्दी में श्यामाबाई का नाम ग्राम काकंरवा त. कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज हुआ उक्त कृषि भूमि नामान्तरण सं. 802 से दिनांक 26.06.1986 को श्री मोहनलाल पिता रामा खटीक को विक्रय कर दी। यानि श्यामाबाई के पैतृक हक की कृषि भूमि श्यामाबाई ने विक्रय करने के बाद ग्राम वासनी कलां में गंगाराम पिता पोखर जी से शादी होने से ग्राम वासनी कलां में पुनः निवास करने से कतिपय भूमि व्यवसाय करने वाले लोगो द्वारा बरगलाने से उक्त विवादित स्थिति उत्पन्न हुई है जबकि श्यामाबाई का उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं बनता है।

8. यह कि उदा जी द्वारा लोगरिया को गोद पुत्र रखने से उक्त कृषि भूमि लोगरिया के नाम पर दर्ज हुई जिससे लोगरिया के छोटे भाई प्रतिवादी सं.7 नाथु द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त कृषि भूमि दिनांक 27.12.1979 को क्रय की गई। जब से ही प्रतिवादी सं. 7 काबिज काश्त हो बतौर रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीया ने गलत तथ्य बताते हुए वाद पत्र पेश किया है जो निश्चित तौर पर खारिज होने योग्य है। अंत में निवेदन किया की वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें तथा धारा 35 क सिविल प्रक्रियां के तहत वादीया से खर्च 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये अलग से दिलाये जावें ।

9. प्रकरण में न्याय निर्णय हेतु निम्नानुसार तनकियात कायम की गई :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

1. आया वाद पत्र की कलम सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि वादीयां की पैतृक सम्पति है जिसमें वादीयां अपना नाम 1/2 हक हिस्से से घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने की अधिकारिणी हैं।

जिम्मे वादीया

2. आया वादीयां अपने हक हिस्से अनुसार दर्ज कृषि भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कराने की अधिकारी हैं।

..........जिम्मे वादीया

3. आया प्रतिवादीगण के पिता लोगरिया को भगलिया ने गोद लिया था जिससे प्रतिवादीगण के अलावा कृषि भूमि में अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं हैं।

...........जिम्मे प्रतिवादी सं. 1 से 7

4. आया प्रतिवादीगण वादीयां श्यामाबाई का नाम ग्राम कांकरवा तह. कपासन जिला चित्तौडगढ में पैतृक सम्पति में दर्ज हुई और उक्त कृषि नामान्तरकरण सं. 802 दिनांक 26.06.1986 को मोहनलाल पिता रामा खटीक को विक्रय कर दी।

...........जिम्मे प्रतिवादी सं. 1 से 7

5. दादरसी ।

10. साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। वादीया द्वारा साक्ष्यवादी के तहत शपथ पत्र गवाह पी.डब्ल्यू 1 स्वयं वादीया श्रीमती श्यामाबाई पत्नी गंगाराम मेघवाल, पी.डब्ल्यू 2 श्री मेघा पिता जेता, पी.डब्ल्यू 3 श्री नारायणलाल पिता स्व. गंगाराम मेघवाल के प्रस्तुत किए गए। पी.डब्ल्यू 1 स्वयं वादीया द्वारा दस्तावेजात मौजा जमाबंदी नकल संवत 2066–69 प्रदर्श – 1, खसरा मिलान प्रदर्श 2, मेवाड सेटलमेंट जमाबंदी प्रदर्श 3, भू–प्रबंध विभाग की जमाबंदी संवत 2030 प्रदर्श 4 करवाए गए। पी.डब्ल्यू 1 से 3 से जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की गई। साक्ष्यवादी बंद कर साक्ष्यप्रतिवादी में पत्रावली नियत की गई। साक्ष्यप्रतिवादी का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी साक्ष्य प्रतिवादी गवाह उपस्थित नही हुए। उसके पश्चात अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एवं स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

11. अधिवक्ता वादीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीया द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादीया के नाना की भूमि में दौराने नामान्तरकरण वादीया की माता का नाम दर्ज नही किया गया। वादीया की माता का भी नाम दर्ज करना चाहिए था। इस कारण वादग्रस्त भूमि में वादीया की माता का हक हिस्सा निहित था तथा वादीया की माता के निधन के पश्चात वादीया का हक हिस्सा निहित होकर काबिज है। वादीया अपना वाद साबित कराने में सफल रही है। साथ ही अधिवक्ता वादीया द्वारा निवेदन किया गया की वादीया अब वाद पत्र में विभाजन की दाद नही चाहती है। विभाजन की दाद को विड्रो फरमाते हुए वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर घोषणा की डिक्री जारी की जावे।

12. हमने अधिवक्ता वादीया की एक पक्षीय बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन इस प्रकार है कि :–

1. आया वाद पत्र की कलम सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि वादीयां की पैतृक सम्पति है जिसमें वादीयां अपना नाम 1/2 हक हिस्से से घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने की अधिकारिणी हैं।

.............जिम्मे वादीया

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीया पर रहा। वाद पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित सजरे अनुसार मूल पुरूष भगलिया पिता उदा था। जिसकी पुत्री जानीबाई पत्नी उदा थी। जानी बाई की पुत्री वादीया श्यामाबाई है। परन्तु उक्त सजरे में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मौरूस लोगरिया को वादी की माता जानीबाई द्वारा गोद लिया जाकर गोद पुत्र बताया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के जवाब के अनुसार भगलिया पिता उदा के निधन के पश्चात भगलिया के पिता उदा द्वारा ही लोगरिया को गोद लिया गया था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि इस प्रकार न्यायालय के समक्ष दो प्रकार के सजरे प्रस्तुत हो गए जिनमें निम्न प्रकार स्थिति उत्पन्न होती हैः–

**वादी के अनुसार**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

भगलि[illegible] उदा

जानीबाई पत्नी [illegible] जी (फौत)

लोगरिया (गोदीना पुत्र)(फौत) — श्यामाबाई (पुत्री)

लोगरिया (गोदीना पुत्र)(फौत) की संतान:

भंवरलाल पुत्र | कमली पुत्री | नारायण पुत्र | गोपीबाई पुत्र | पुष्पा पुत्र | नन्दुबाई पत्नी लोगरिया

**प्रतिवादी के अनुसार**

भगलिया पिता उदा (मूल पुरूष)

जानीबाई पुत्री (फौत) — उदा जी (भगलिया की मृत्यु उपरान्त जीवित)

उदा जी → लोगरिया (गोद पुत्र)

लोगरिया (गोद पुत्र) की संतान:

नन्दुबाई पत्नी | भंवरलाल पुत्र | कमली पुत्री | नारायण पुत्र | गोपीबाई पुत्री | पुष्पा पुत्री

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि दोनो सजरे अनुसार यह तथ्य निर्विवादित है कि वादीया की माता जानीबाई, भगलिया की पुत्री है। भगलिया, उदा का पुत्र है। प्रदर्श 3 मौजा लदाना महकमे बन्दोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर संवत 1984 की जमाबंदी के खाता संख्या 58 पर दर्ज आराजी नम्बर 444 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा भूमि भगल्या वल्द उदा के नाम दर्ज थी। सेटलमेन्ट विभाग के मिलान पत्रक अनुसार साबिक आराजी नम्बर 444 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376 कायम किए गए। खतोनी बन्दोबस्त ग्राम लदाना संवत 2030 के अनुसार आराजी नम्बर 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376 किता 7 कुल रकबा 29 बीघा लोगरीया पिता उदा के नाम दर्ज हुई। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रतिवादीगण के कथनानुसार भगलिया के निधन के पश्चात भगलिया के पिता उदा द्वारा लोगरिया को गोद लिया गया था। इस कथन से सहमत नही हैं क्योंकि यदि भगलिया का निधन अपने पिता के जीवनकाल में ही हो जाता तो वादग्रस्त भूमि भगलिया के नाम ही दर्ज नही होती। इस कारण से स्पष्ट है कि भगलिया के पिता उदा द्वारा लोगरिया को गोद नहीं लिया [illegible] भगलिया की पुत्री जानीबाई द्वारा ही लोगरिया को गोद लिया गया। [illegible] के पति का नाम भी उदा होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

के कारण लोगरिया के पिता का नाम उदा दर्ज हुआ। प्रदर्श 1 ग्राम लदाना पटवार हल्का वासनीकला तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2066—69 के खाता संख्या 325 पर दर्ज आराजीयात 370, 371, 372, 373, 374, 376 किता 6 कुल रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा लोगर पिता उदा, नाथु पिता कालू मेघवाल के नाम दर्ज है। इस प्रकार आराजी नम्बर 375 का विक्रय होकर पृथक से खाता कायम हो गया। जिसके संबंध में वादीया द्वारा खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही चाही गई।

वादग्रस्त भूमि मूल पुरूष भगलिया के नाम दर्ज थी। भगलिया के एक पुत्री वादीया की माता जानीबाई पत्नी उदा हुई। जानीबाई के एक पुत्री वादीया श्यामाबाई एवं गोदपुत्र लोगरिया हुआ। वादग्रस्त भूमि केवल मात्र लोगरिया के नाम दर्ज हो गई। जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार खातेदार भगलिया के निधन के पश्चात जानीबाई में निहित हुई। जानीबाई का निधन के पश्चात वादीया एवं गोद पुत्र लोगरिया में निहित हुई। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा केवल गोदपुत्र लोगरिया के नाम दर्ज कर दी गई। लोगरिया का निधन हो चुका है। लोगरिया द्वारा वादग्रस्त भूमि का आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 को विक्रय कर दिया जाने से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज हुआ। प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा खातेदार से क्रय करने के कारण प्रतिवादी संख्या 7 सद्भावी क्रेता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की वादग्रस्त भूमि में वादीया का भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत हक हिस्सा बनता है। परन्तु सम्पूर्ण भूमि में से वादीया को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तो सद्भावी क्रेता के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में वादीया प्रदर्श 1 अनुसार लोगरिया के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से ही 1/2 हिस्से का अर्थात सम्पूर्ण भूमि मे 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीया के पक्ष में आंशिक साबित होती है।

2. आया वादीयां अपने हक हिस्से अनुसार दर्ज कृषि भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कराने की अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

..........जिम्मे वादीया

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीया पर रहा। परन्तु अधिवक्ता वादीया द्वारा बंटवाड़ा करवाने की दाद नही चाहने से उक्त तनकी वादीया के विरूद्ध साबित की जाती है।

3. आया प्रतिवादीगण के पिता लोगरिया को भगलिया ने गोद लिया था जिससे प्रतिवादीगण के अलावा कृषि भूमि में अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं हैं।

...........जिम्मे प्रतिवादी सं. 1 से 7

4. आया प्रतिवादीगण वादीयां श्यामाबाई का नाम ग्राम कांकरवा तह. कपासन जिला चित्तौडगढ में पैतृक सम्पति में दर्ज हुई और उक्त कृषि नामान्तरकरण सं. 802 दिनांक 26.06.1986 को मोहनलाल पिता रामा खटीक को विक्रय कर दी।

...........जिम्मे प्रतिवादी सं. 1 से 7

उक्त तनकी नम्बर 3, 4 को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1 से 7 पर रहा। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा उक्त दोनो तनकीयात को साबित कराने हेतु कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किए। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा उक्त तनकीयात साबित नही कराने से इनके विरूद्ध साबित की जाती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वादीया को अपने नाना तथा माता की भूमि मे घोषणा कराने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु लोगरिया के नाम 1/2 हिस्सा ही होने से वादीया को सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्से की ही घोषणा दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। वादीया के जिम्मे की तनकी संख्या 1 भी वादीया अपने पक्ष में आंशिक साबित कराने में सफल रही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

## —: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम लदाना पटवार हल्का वासनीकला तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2066—69 के खाता संख्या 325 पर दर्ज आराजीयात 370, 371, 372, 373, 374, 376 किता 6 कुल रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा भूमि लोगर पिता उदा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीया को 1/4 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/4 हिस्सा लोगर के यथावत रहेगा। शेष खाता यथावत रहेगा।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली**
**बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.**

उनवान्

1. श्रीमती श्यामाबाई पत्नी गंगाराम जाति मेघवाल निवासी वासनी कला तहसील मावली जिला उदयपुर।

............वादीया

**बनाम**

1. श्री भंवरलाल पिता लोगरिया जी जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी– लदाना, तहसील गावली, जिल– उदयपुर राज.।
2. श्रीमती कमला पत्नि लच्छीराम जी, पुत्री लोगरिया जी, जाति– मेघवाल, आयु– वयस्क, निवासी वासनी कला, तहसील मावली, जिला– उदयपुर।
3. श्री नारायण पिता लोगरिया जी, जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी– लदाना, तहसील– मावली, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती गोपीबाई पत्नि बद्रीलाल पुत्री लोगरिया जी, जाति– मेघवाल, आयु– वयस्क, निवासी–निलोद, तहसील भोपाल सागर, जिला– चित्तौडगढ ।
5. श्रीमती पुष्पा पत्नि शम्भुलाल पुत्री लागरिया जी, जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी– वासनी कला, तहसील मावली जिला, उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती नन्दूबाई पत्नि लोगरिया जी, जाति– मेघवाल, आयु– वयस्क, निवासी– लदाना, तहसील–मावली, जिला– उदयपुर (राज.)
7. श्री नाथु पिता कालु जी, जाति– मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी– लदाना, तहसील–मावली, जिला– उदयपुर (राज.)
8. राज्य सरकार जरिये, तहसीलदार साहब, मावली, तहसील मावली, जिला– उदयपुर (राज.)
9. श्रीमान पटवारी साहब, पटवार हल्का बारानी कलां, तहसील मादली, जिला– उदयपुर राज.।
10. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय सनवाड़, तहसील मावली, जिला–उदयपुर राज.।

...............प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## मुकदमा न0 : 307/14 (वाद) GCMS No. – 2014/00017

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम लदाना पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

वासनीकला तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2066–69 के खाता संख्या 325 पर दर्ज आराजीयात 370, 371, 372, 373, 374, 376 किता 6 कुल रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा भूमि लोगर पिता उदा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीया को 1/4 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/4 हिस्सा लोगर के यथावत रहेगा। शेष खाता यथावत रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.08.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested